न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी

प्रकरण संख्या 14/17

रामदास पुत्र चिरोजीलाल जाति जाटव निवासी हीरापुरा — प्रार्थी

बनाम्

भूरा पुत्र तोफी जाति जाटव निवासी पूठपुरा — अप्रार्थीगण

पीठासीन अधिकारी –जय सिंह, आर.ए.एस.

निर्णय — दिनांक 11.01..2018

हस्तगत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बसेडी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नॅवर 115 रकवा 6 बीघा 06 विस्वा वाके ग्राम तिमासिया तहसील बसेडी के खातेदार सुखराम पुत्र मबासी भूरा पुत्र तोफी जाति जाटव निवासी पूठपुरा हिस्सा वरावर खातेदार काश्तकार थे । इनके द्वारा जरिये वयनामा दिनांक 17.11.2001 से देवीराम पुत्र चिरोजी जाति जाटव निवासी हीरापुर तहसील बसेडी को हस्तान्तरित कर दिया । जिसका नामान्तरकरण 1261 दिनांक 8.12.2001 से देवीराम के नाम समस्त हिस्सा स्वीकार किया गया । जिसके नये खसरा नाम्वर 180,181,182,183 उवं 184 कुल किता 5 कुल रकवा 1.59 है0 बना, वन्दोवस्त विभाग द्वारा दोराने वन्दोवस्त 2005–25 में खाता संख्या 155 में देवीराम हि01/2 अंकित कर दिया जो वर्तमान जमावन्दी में भी अंकित है इसकी शुद्वी की जाकर सतस्त खाते पर देवीराम का नाम अंकित कराने का निवेदन किया है ।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी बाबजूद सूचना के अनुपस्थित रहे इससे यह सावित होता है कि अप्रार्थी को इस प्रकारण में कोई भी पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सहमति जाहिर है ।

हमने पत्रावली में संलग्न तहसीलदार बसेडी का प्रार्थना पत्र,दस्तावेजात का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र तहसीलदार स्वीकार करना उचित समझते है ।

अतः आदेश है कि ग्राम तिमासिया तहसील वसेडी की वर्तमान जमावन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 190 में भूरा पुत्र तोफी जाति जाटव निवासी पूठपुरा हिस्सा 1/2 को विलोपित कर समस्त रकवे पर देवीराम पुत्र चिरोजी जाति जाटव निवासी हीरापुरा तहसील बसेडी का इन्द्राज किया जावे ।

आज दिनांक 11.01.2018 को यह फैंसला मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। 11-1-2018

जयसिंह
उपखण्डाधिकारी
बसेडी